उत्तर प्रदेश शासन

चिकित्सा अनुभाग-8

संख्या-34/2018/1636 /पांच-8-2018-जी0(290)/2017टी0सी0

लखनऊ : दिनांक 11 मई, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत एलोपैथिक चिकित्साधिकारी के पद पर लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 इलाहाबाद द्वारा वर्ष 2017 में किये गये चयन के फलस्वरूप पत्र संख्या-56(Xii)/19/डी0 आर0/सेवा-8/2015-16, दिनांक 02-04-2018 में 02 चिकित्साधिकारियों की नियुक्ति की संस्तुति के क्रम में प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अन्तर्गत वेतनमान रू0 15,600-39,100/- ग्रेड पे रू0 5400/- में एलोपैथिक चिकित्साधिकारी के पद पर डा0 अरविन्द कुमार गुप्ता पुत्र श्री लक्ष्मी प्रसाद गुप्ता, चन्द्रा निवास मव0नं0-110, मेन रोड, सोनौली (श्रेणी-ओ0बी0सी0, विशेषज्ञता-एम0बी0बी0एस0/एम0एस0 आर्थोपैडिक) (चयन क्रमांक-एस-1987 एवं अनुक्रमांक-52350010459 तथा गृह जनपद-महराजगंज) एवं डा0 कृष्ण मोहन प्रसाद पुत्र श्री विश्वनाथ महतो, के0-5, पी0सी0 कालोनी, कांकरबांग, पटना, बिहार (श्रेणी-एस0टी0, विशेषज्ञता-एम0बी0बी0एस0/डी0सी0एच0) (चयन क्रमांक-एस-1995 एवं अनुक्रमांक-52340000268 तथा गृह जनपद-महराजगंज) को मौलिक एवं अस्थायी रूप से नियमित नियुक्ति प्रदान करते हुए क्रमश: जिला संयुक्त चिकित्सालय, सिद्धार्थनगर एवं जिला संयुक्त चिकित्सालय, श्रावस्ती के अधीन निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत तैनात करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1- डा0 अरविन्द कुमार गुप्ता एवं डा0 कृष्ण मोहन प्रसाद को प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2004 के नियम 18 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

2- डा0 अरविन्द कुमार गुप्ता एवं डा0 कृष्ण मोहन प्रसाद का स्वास्थ्य परीक्षण मण्डलीय चिकित्सा परिषद् द्वारा किया जायेगा और उक्त परिषद् द्वारा स्वस्थ घोषित किये जाने के उपरान्त ही उन्हें कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। इस हेतु चिकित्साधिकारी अपने नियुक्ति पत्र सहित अपनी तैनाती के मण्डल के अपर निदेशक से शर्त क्रमांक-5 में निर्धारित अवधि में सम्पर्क कर स्वास्थ्य परीक्षण हेतु उपस्थित होगे।

क्रमश:

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

U.o-M-N

3- डा0 अरविन्द कुमार गुप्ता एवं डा0 कृष्ण मोहन प्रसाद संलग्न निर्धारित शपथ पत्र के प्रारूप पर अपने चरित्र प्राग्वृत्त का सत्यापन स्वयं करेगे। उसमें यदि कोई प्रतिकूल तथ्य शासन के संज्ञान में आता है, तो उनकी सेवायें शासन स्तर से तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।

4- डा0 अरविन्द कुमार गुप्ता एवं डा0 कृष्ण मोहन प्रसाद को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे। उन्हें उ0प्र0 सरकारी डाक्टर (एलोपैथिक)प्राईवेट प्रैक्टिस पर निर्बन्धन नियमावली, 1983 यथासंशोधित शासनादेश संख्या-248/सेक-2-पांच-2003-7(55)/97, दिनांक 01 फरवरी, 2003 एवं पुन: संशोधित शासनादेश संख्या-2746/सेक-2-पांच-2003-7(55)/97टी0सी0, दिनांक 28 मई, 2005 के अन्तर्गत प्राईवेट प्रैक्टिस की अनुमति नहीं होगी और नियमानुसार प्रैक्टिस बन्दी भत्ता देय होगा।

5- डा0 अरविन्द कुमार गुप्ता एवं डा0 कृष्ण मोहन प्रसाद **दिनांक 10-06-2018** तक अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती के जनपद में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के समक्ष उपस्थित होगें तथा शर्त क्रमांक-7 में उल्लिखित समस्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगें। यदि वे उक्त निर्धारित अवधि में अपनी तैनाती के जनपद में योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन समाप्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

6- नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु डा0 अरविन्द कुमार गुप्ता एवं डा0 कृष्ण मोहन प्रसाद को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।

7- डा0 अरविन्द कुमार गुप्ता एवं डा0 कृष्ण मोहन प्रसाद को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व निम्न प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे :-

(1) दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों से, जो सक्रिय सेवा में और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हो, अच्छे चरित्र का प्रमाण पत्र (संलग्नक प्रारूप में)

(2) अभियोजन न चलाये जाने, न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा चरित्र प्राग्वृत्त सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य शासन के संज्ञान में आने पर सेवायें समाप्त करने के सम्बन्ध में शपथ पत्र (संलग्न प्रारूप पर)

क्रमश:

(3) उ0प्र0 मेडिकल काउन्सिल द्वारा दिये गये स्थायी रजिस्ट्रेशन की 02 प्रतियां।

(4) ओथ एलीजियन्श का प्रमाण पत्र।

(5) गोपनीयता का प्रमाण पत्र।

(6) चल अचल सम्पत्ति का प्रमाण पत्र।

(7) एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने का प्रमाण पत्र।

(8) मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र।

8- यदि डा0 अरविन्द कुमार गुप्ता एवं डा0 कृष्ण मोहन प्रसाद पूर्व से पी0एम0एच0एस0 संवर्ग में कार्यरत है, तो उन्हें यह लिखित रूप में विकल्प देना होगा कि वह पूर्व में की गयी नियुक्ति के आधार पर सेवा में रहना चाहते है या वर्तमान में की गई नियुक्ति के आधार पर। यदि डा0 अरविन्द कुमार गुप्ता एवं डा0 कृष्ण मोहन प्रसाद द्वारा वर्तमान में की गई नियुक्ति के आधार पर सेवा में रहने का विकल्प दिया जाता है, तो उसके द्वारा पूर्व में की गई सेवा की गणना वरिष्ठता निर्धारण हेतु नहीं की जायेगी।

2- प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में डा0 अरविन्द कुमार गुप्ता एवं डा0 कृष्ण मोहन प्रसाद की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित ज्येष्ठता क्रम के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

संलग्नक-शपथ पत्र का प्रारूप।

वी0 हेकाली झिमोमी
सचिव।

संख्या-34/2018/1636 (1)/पांच-8-2018-तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2- उप सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को उनके पत्र संख्या-56(xii)/19/डी0आर0/सेवा-8/2015-16, दिनांक 02-04-2018 के सन्दर्भ में।

3- महानिदेशक/निदेशक(प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नियुक्ति आदेश को डा0 अरविन्द कुमार गुप्ता एवं डा0 कृष्ण मोहन प्रसाद को अपने स्तर से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

क्रमशः

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।
U.o-M-N

नियुक्ति में कोई भी परिवर्तन शासन स्तर से ही किया जायेगा।

4- मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, बस्ती/ देवीपाटन मण्डल, गोण्डा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि डा0 अरविन्द कुमार गुप्ता एवं डा0 कृष्ण मोहन प्रसाद के स्वास्थ्य परीक्षण की तत्काल व्यवस्था करायें तथा चिकित्साधिकारी को स्वास्थ्य प्रमाण पत्र उपलब्ध करा दिया जाय, जिससे कार्यभार ग्रहण करने में अनावश्यक विलम्ब न हो, किन्तु मेडिकल बोर्ड द्वारा स्थायी रूप से अयोग्य घोषित किये गये चिकित्साधिकारी के मामले में स्वास्थ्य परीक्षण कराये जाने हेतु शासन को सन्दर्भित किया जायेगा।

5- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0, इलाहाबाद।

6- संयुक्त निदेशक(कार्मिक/गोपन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।

7- मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला संयुक्त चिकित्सालय, सिद्धार्थनगर/श्रावस्ती को इस निर्देश के साथ कि वे डा0 अरविन्द कुमार गुप्ता एवं डा0 कृष्ण मोहन प्रसाद को मण्डलीय चिकित्सा परिषद् द्वारा स्वस्थ घोषित किये जाने पर निर्धारित तिथि तक उनके प्रस्तर-7(1) में उल्लिखित अभिलेखों को प्राप्त कर योगदान आख्या शासन को विलम्बतम एक सप्ताह में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

8- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी।

9- कोषाधिकारी, सिद्धार्थनगर/श्रावस्ती।

10- प्रभारी, कम्प्यूटर सेल को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त आदेश को विभागीय वेवसाइट पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।

11- गार्ड फाइल।

http://shasanadesh.up.nic.in

आज्ञा से,

(शिवगोपाल सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

U.o-M-N